सख्या:-10/2024/आई486209/001-415आ0/23-5002-002-72-2023
(कम्प्यूटर सं0-1774689)

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 05 फरवरी, 2024**

विषय: अनुदान संख्या-55(पूँजीलेखा) के अन्तर्गत राजभवन परिसर में विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत 1000 के0वी0ए0 क्षमता के ट्रांसफार्मर(सी0एस0एस0) एवं 400 के0वी0ए0 क्षमता के ट्रांसफार्मर तथा टाईप-5 के अधिकारी आवास हेतु 100 के0वी0ए0 क्षमता के ट्रांसफार्मर की स्थापना के कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-795बीजीबी/112बीजीबी/राजभवन 17वां वृत्त/14073/2023-24, दिनांक 11.12.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश दिनांक 30.08.2022 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु रू0 90.29 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 45.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासनादेश दिनांक 10.08.2023 द्वारा अवशेष धनराशि रू0 45.29 लाख की वित्तीय स्वीकृति/आवंटन निर्गत की जा चुकी है।

3- राजभवन परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु प्रस्तावित 1000 के0वी0ए0 क्षमता के ट्रांसफार्मर की कीमत में वृद्धि हो जाने के दृष्टिगत मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 11.12.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन एवं निम्नांकित विवरणानुसार श्री राज्यपाल **रू0 110.28 लाख(रू0 एक करोड़ दस लाख अट्ठाईस हजार मात्र)** की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	जनपद/कार्य का विवरण	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षण हेतु प्रस्तावित लागत
		(धनराशि लाख रू0 में)	
1	2	3	4
1	राजभवन परिसर के विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत 1000 के0वी0ए0 क्षमता के ट्रांसफार्मर(सी0एस0एस0) एवं 400 के0वी0ए0 क्षमता के ट्रांसफार्मर तथा टाइप-5 अधिकारी आवास हेतु 100 के0वी0ए0 क्षमता के ट्रांसफार्मर स्थापना का कार्य।	90.29	110.28
योग :-		**90.29**	**110.28**

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा।

2- लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जायेगा।

3- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

4- अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगा। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दिनांक 25.01.2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

5- प्रस्तावानुसार प्रश्नगत कार्य हेतु आंकलित लागत में लेबर सेस उपकर की धनराशि श्रम विभाग को वास्तविक रूप में भुगतान किया जायेगा।

6- मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

7- कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 की धनराशि नियमानुसार समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी।

8- पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/ कार्यदायी संस्था का होगा।

9- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

10- प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति(डुपलीकेशी) को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

11- प्रश्नगत प्रायोजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-02/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं यथा संशोधित सुसंगत शासनादेश दिनांक 19.09.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

..../03..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

14- उक्त व्यय का वहन आय-व्ययक के सुसंगत मद के अन्तर्गत किया जायेगा तथा प्रायोजना का भविष्य में पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4- प्रश्नगत परियोजना पर होने वाला व्यय आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 4059800512000 राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य (भारित) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-यू0ओ0-ई-8-1110-X-2023-24, दिनांक 31 जनवरी, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

संख्या:-10/2024/आई486209/001-415आ0(1)/23-5-2023तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
5- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- अधीक्षण अभियन्ता, 17वां(वि0/यॉ0) वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- कार्य अधीक्षक, अ0वि0नि0ई0(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
12- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।